संख्या–1692/9–आ–5–99–18 ई/99

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनाँक : 5 अक्टूबर, 1999

विषयः विकास प्राधिकरणों के कर्मियों (केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा) को पेंशन सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1580/9–आ–5–99–252ई/98, दिनांक 05 मई, 1999 द्वारा सी0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 योजना को समान रूप से प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने, ताकि यथासमय पेंशन की व्यवस्था सम्भव हो सके तथा सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी।

2. उपरोक्तानुसार गठित समिति की रिपोर्ट एवं संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं। जिसके क्रम में दिनांक 30.8.1999 को सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचनायें वांछित हैं :–

(1) विभिन्न विकास प्राधिकरणों में वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है, उसके अनुसार पेन्शनरी अनुदान का किस प्रतिशत से कटौती की गयी है। (दिनांक 20.8.99 तक), इसके सम्बन्ध में सूचना संलग्न प्रारूप में दी जाय। इस प्रकार सी0पी0एफ0 अंशदान की सूचना भी संलग्न प्रपत्र 'ए' में दी जाय। यह सूचना विकास प्राधिकरणों के मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी द्वारा क्रमवार बनवाई जाय और धनराशि को संकलित करके एक सारांश भी तैयार किया जाय। यह सूचना शासन को पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अन्दर विकास प्राधिकरणों के मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी द्वारा सीधे ही अधोहंस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय। विकास प्राधिकरणों मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, जो सूचना तैयार कराये उसे किसी स्थानीय ख्याति प्राप्त चार्टेड एकाउण्टेन्ट से सत्यापित करा लें।
(2) समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह इंगित किया है कि विकास प्राधिकरण, बांदा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा हापुड़–पिलखुआ द्वारा वांछित सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। अतः यह प्राधिकरण कृपया संलग्न प्रपत्र 'बी' में वांछित सूचनायें अविलम्ब उपलब्ध करायें।

(3) कृपया उपरोक्तानुसार वांछित सूचनायें शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : प्रपत्र 'ए' तथा प्रपत्र 'बी'

भवदीय,

दीनदयाल
संयुक्त सचिव

प्रपत्र–'ए'

(जहां सी0पी0एफ0 व्यवस्था लागू है)

(1) प्राधिकरण का नाम .....

(2) केन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या .....

(दि0 30.9.99 तक)

(3) अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या .....

(दि0 30.9.99 तक)

(4) सी0पी0एफ0 व्यवस्था लागू .....

करने का माह एवं वर्ष

(5) क्या सी0पी0एफ0 व्यवस्था लागू .....

होने से पूर्व अन्य कोई व्यवस्था थी, यदि हां तो कब से कब तक

(6) सी0पी0एफ0 कटौती की दर .....

(कर्मचारी/अधिकारी के वेतन से)

(7) सी0पी0एफ0 अंशदान की दर .....

(प्राधिकरण द्वारा) यदि दर

परिवर्तित की गयी तो कब से

कब तक कौन–कौन सी दरें लागू

रहीं (किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होंगे)

(8) सी0पी0एफ0 रखे जाने की व्यवस्था .....

क्या है (किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होंगे)

(9) वर्तमान समय में सी0पी0एफ0 खाते .....

में कुल कितनी धनराशि होनी चाहिये तथा कितनी धनराशि

अवशेष है। (किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होंगे)

(10) क्यों विकास प्राधिकरण जितनी .....

धनराशि होनी चाहिये उसको लखनऊ में खोले जाने वाले केन्द्रीयित खाते में जमा कर देगा ?

हस्ताक्षर :– (1) लेखा एवं वित्त विभाग के प्रमुख

(2) सचिव, प्राधिकरण,

(3) उपाध्यक्ष, प्राधिकरण

प्रपत्र–'बी'

(जहां जी0पी0एफ0 व्यवस्था लागू है)

(1) प्राधिकरण का नाम .....

(2) केन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या .....

(दि0 30.9.99 तक)

(3) अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या .....

(दि0 30.9.99 तक)

(4) पेंशन अंशदान व्यवस्था लागू .....

करने का माह/वर्ष

(5) क्या पेंशन अंशदान व्यवस्था लागू .....

होने से पूर्व अन्य कोई व्यवस्था

थी, यदि हां तो कब से कब तक

(6) पेंशन अंशदान की दर प्राधिकरण .....

द्वारा यदि दर परिवर्तित की गयी तो कब से कब तक कौन–कौन सी दरें लागू रही।

(चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित)

(7) पेंशन अंशदान की धनराशि रखे जाने .....

की व्यवस्था क्या है। (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित)

(8) वर्तमान समय में पेंशन अंशदान खाते में .....

कुल कितनी धनराशि होनी चाहिये और

कितनी धनराशि उपलब्ध है।

(किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होंगे)

(9) क्या विकास प्राधिकरण जितनी .....

धनराशि होनी चाहिए उस को

लखनऊ में खोले जाने वाले केन्द्रीयित

खाते में 15 दिन के अन्दर जमा कर

देगा।

हस्ताक्षर :– (1) लेखा एवं वित्त विभाग के प्रमुख

(2) सचिव, प्राधिकरण,

(3) उपाध्यक्ष, प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–5

संख्या–132/9–आवास–5–2000

लखनऊ : दिनांक : 13 जनवरी, 2000

कार्यालय–ज्ञाप

कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन के उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति, 1999 के क्रियान्वयन के अनुक्रम में, उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न श्रेणी समूहों में भविष्य में आने वाले कार्मिकों व इस सेवा में वर्तमान समय में कार्यरत कार्मिकों के ज्ञान कौशल एवं सुसंगत अभिवृत्ति के निरन्तर विकास के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जनभागिता की अवधारणा के लिये प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विकास के प्रति जागरूकता, विधि व्यवस्था में विश्वास विकसित करने एवं कार्य व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार तथा कार्य निष्पादन के प्रति प्रतिबद्धतापूर्ण दृष्टिकोण के सतत विकास के उद्देश्य से प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कर्मियों को सेवाकाल के दौरान अन्तरालों में सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डवलपमेंट सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ के माध्यम से कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के समस्त श्रेणी के कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन करने तथा प्रशिक्षण प्रोग्राम की विषयवस्तु निर्धारित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार तात्कालिक प्रभाव से समिति गठित किए जाने का सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

सर्वश्री,

1. जे0पी0 भार्गव सेवानिवृत्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अध्यक्ष
   ग्राम एवं नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. एम0एस0 त्यागी सेवानिवृत्त, मुख्य नगर नियोजक सदस्य
   उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा
3. एस.एल. नागदेव, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियंता सदस्य
   उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा
4. के0बी0 सक्सेना, लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता सदस्य
   लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. रवि श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) संयोजक
   लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ। (नोडल अधिकारी)

2. उपरोक्त गठित समिति नगर नियोजन एवं वास्तुकला, लेखा संवर्ग, अभियंत्रण संवर्ग तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन के अधिनस्थ कार्यरत कार्मिकों के सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण की विषयवस्तु, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समय सारणी तैयार करेगी। साथ ही समिति आवश्यकतानुसार विभिन्न अन्य क्षेत्रों/विषयों के विशेषज्ञों की सेवायें भी प्राप्त कर सकेगी।

3. उपर्युक्त गठित समिति में संयोजन कार्य (नोडल अधिकारी के रूप में) लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता श्री रवि श्रीवास्तव द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

4. समिति के सेवानिवृत्त अधिकारियों को उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन हेतु रू0 5000/– की धनराशि एकमुश्त देय होगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–132(1)/9–आवास–5–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री जे0 पी0 भार्गव, मुख्य एवं ग्राम नियोजक (सेवानिवृत्त) उ0प्र0 लखनऊ को नोडल अधिकारी के माध्यम से।
4. श्री एम0 एस0 त्यागी, सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक, उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा को नोडल अधिकारी के माध्यम से।
5. श्री नागदेव, मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त, उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा को नोडल अधिकारी के माध्यम से।
6. श्री के0 बी0 सक्सेना, लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।
7. श्री रवि श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. आवास अनुभाग–1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक विभाग, प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक
संख्या–1/1/96–का–प्रसको–1999
लखनऊ : दिनांक : 15 नवम्बर, 1999

कार्यालय–ज्ञाप

तीव्रगामी परिवर्तन के इस दौर में सरकारी सेवकों को जन समस्याओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने एवं मानव संसाधन को सक्षम बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष 1996 में राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुसार राज्य की स्वतंत्र एवं पृथक प्रशिक्षण नीति तैयार की जाये प्रशिक्षण नीति के निर्माण का गुरुत्तर दायित्व उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल को सौंपा गया तथा प्रदेश के समस्त श्रेणी के कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने के उद्देश्य से समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 1998 द्वारा उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को नोडल संस्थान नामित किया गया,

2. शासन के विभिन्न विभागों, विभिन्न संस्थानों एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञों से विचार विमर्श के उपरान्त, एतदर्थ गठित की गयी उच्च स्तरीय समितियों की संस्तुति के उपरान्त राज्य की प्रशिक्षण नीति प्राख्यापित की गयी है, उक्त प्रशिक्षण नीति एवं कार्य योजना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको उपलब्ध कराते हुए, यह भी अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण नीति एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार अपने विभाग में प्रशिक्षण नीति को प्रभावी रूप से लागू कराने का कष्ट करें, प्रशिक्षण नीति के अनुरूप विभागों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार शासनादेश/परिपत्र भी जारी किये जाने पर विचार किया जाये, इस सम्बन्ध में कठिनाई आने पर उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल अथवा उ0प्र0 सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ अथवा शासन स्थित प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

सुधीर कुमार
सचिव कार्मिक

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संख्या–129 / 9–आ–5–2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊः दिनाँक : 21 जनवरी, 2000

विषय : विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की सेवा पुस्तिका खोलने एवं पी0एफ0, जी0आई0एस आदि की कटौतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय प्राधिकरणों द्वारा विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के तदर्थ नियुक्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका आदि अभी तक नहीं खोली गयी है एवं नियमानुसार पी0एफ0,जी0आई0एस0 आदि को कटौतियां भी नहीं की जा रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

अतएव कृपया तदर्थ आधार पर नियुक्त विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की सेवा पुस्तिका खुलवाने एवं नियमानुसार जी0आई0एस0, पी0एफ0 आदि की कटौतियां सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या–3010 / 9–आ–5–2000–112विविध / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक–17 जनवरी, 2000

विषयः वेतन समिति उ0प्र0 (1998) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में विभिन्न पदों का दिनांक 01.01.1996 में संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों के संबंध में दिनांक 01.1.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति शासनादेश संख्या–2405 / 9–आ–5–98–175 ई / 97, दिनांक 13.8.1998 द्वारा प्रदान की गयी थी। इस शासनादेश द्वारा विभिन्न वेतनमानों का पूनरीक्षित वेतनमान भी निर्धारित करते हुये तत्संबंधी आदेश प्रसारित किया गया था। इस शासनादेश के संलग्नक के क्रमांक – 17 पर अंकित वेतनमान रू0 3000–100–3500–125–4500 का पूनरीक्षित वेतनमान रु. 10,000–275–15200 निर्धारित किया गया था। परिक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि उक्त पुनरीक्षित वेतनमान वास्तव में रू0 10000–325–15200 होना चाहिये। अर्थात पूर्व अंकित वेतनमान रू0 10000–275–15200 त्रुटिपूर्ण है।

2. अतएव इस संबंध में शासनादेश दिनांक 13.8.1998 में क्रमांक–17 पर अंकित वेतनमान रू0 3000–100–3500–125–4500 का पुनरीक्षित वेतनमान रू0 10000–325–15200 होगा तथा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13.8.1998 उपर्युक्त सीमा तक पढ़ा एवं समझा जायेगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–926 / 9–आ–5–2000–71 ई / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊः दिनाँक–25 अप्रैल, 2000

विषयः वर्ष 2000 में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मियों के वार्षिक स्थानांतरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की वार्षिक स्थानांतरण नीति के क्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानांतरण की कार्यवाही पर विचार किया जाना है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में विभिन्न माध्यमों से शासन में सीधे अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न विकास प्राधिकरणों से भी कार्मिकों की व्यक्तिगत समस्याओं / अनुरोध आदि को देखते हुये उनके स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना पत्रों को संस्तुति सहित शासन को अग्रसारित / उपलब्ध कराया गया है। यद्यपि की सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा नीतिगत आदेश अभी निर्गत नहीं हुये हैं किन्तु स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया / कार्यवाही को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि इनसे संबंधित सूचनायें समय से संकलित कर ली जाये। कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं / निर्देशों को ध्यान में रखते हुये दिनांक 10 मई, 2000 तक वांछित सूचनायें संलग्न निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

(1) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों से उनकी समस्या / अनुरोध के दृष्टिगत उनके द्वारा इच्छित तीन स्थानों / प्राधिकरणों में स्थानांतरण का विकल्प संलग्न प्रारूप पर प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाये। कोई भी कर्मचारी दो प्रकार का विकल्प दे सकता है। वे जो स्वेच्छा से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण चाहते हैं। दूसरे वे जो नीति अंतर्गत स्थानांतरण होने की स्थिति में विकल्प देना चाहते हैं, अन्यथा वे वर्तमान स्थान पर ही रहना चाहते है। तद्नुसार उनके समायोजन का यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा। यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र विकल्प प्रस्तुत किये जाने से ही किसी कार्मिक को विकल्प वाले प्राधिकरण में तैनाती / स्थानांतरण का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है अपितु संबंधित विकास प्राधिकरण में पद की उपलब्ध / रिक्तता, उसकी पूर्व तैनाती / कार्य आचरण आदि के दृष्टिगत इस संबंध में शासन का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(2) मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के कतिपय कार्मिक एक विकास प्राधिकरण से दूसरे विकास प्राधिकरण में स्थानांतरण कराने में अथवा स्थानांतरण हो जाने के पश्चात स्थानांतरण को रूकवाने हेतु या स्थानांतरण के व्यावर्तन हेतु शासन पर अनुचित दबाव एवं राजनैतिक दबाव डलवाते हैं जो यह न केवल सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम–27 के विरूद्ध है, वरन् कार्मिक शासनादेश के भी विरूद्ध है। अतः यदि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा, कोई कार्मिक अपने स्थानांतरण कराने/रूकवाने/व्यावर्तन कराने के संबंध में शासन पर अनुचित दबाव/राजनैतिक दबाव डलवाता है तो, उसकी चरित्र पंजिका में आचरण नियमावली के प्राविधानों का उल्लेख करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी। स्थानांतरण आदेशों का अनुपालन स्थानांतरण आदेश में उल्लिखित निर्दिष्ट तिथि तक किया जाना आवश्यक होगा। ऐसा न किए जाने की स्थिति में स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–926(1)/9–आ–5–2000– तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे शासन के उक्त आदेश को अपने विकास प्राधिकरण में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के समस्त कार्मिकों के मध्य परिचालित कराकर उन्हें अवगत करा दें तथा संलग्न प्रारूप पर अपेक्षित सूचना उपाध्यक्ष के अनुमोदन से शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 10–5–2000 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

प्रारूप

विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम :

क्र0 संबंधित कार्मिक का गृह जनपद प्राधिकरण में तैनाती तीन पूर्व उन तीन इच्छित अन्य विवरण

नाम/पदनाम की अवधि (वर्षवार) तैनातियों स्थानों का नाम यदि कोई हो/

का विवरण जिसके लिये अभ्युक्ति

कार्मिक द्वारा

विकल्प प्रस्तुत

किया गया है।

1 2 3 4 5 6 7

1991–92

1992–93

1993–94

1994–95

1995–96

1996–97

1997–98

1998–99

1999–2000

सचिव/उपाध्यक्ष

विकास प्राधिकरण

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–254 / 9–आ–5–2001–14विविध / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊ : दिनाँक – 12 फरवरी, 2001

विषयः प्राधिकरणों में विभिन्न शाखाओं के अधीन एक ही पटल पर लम्बी अवधि से कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण एवं उनकी तैनाती के संबंध में नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्राधिकरणों के अधीन विभिन्न संवर्गों यथा–अभियंत्रण, प्रशासनिक (सम्पत्ति, नियोजन, लेखा, उद्यान, विधि आदि) में विभिन्न स्तर के कार्मिक एक लम्बी अवधि से कार्यरत हैं तथा पूर्व में प्राधिकरण स्तर से यदि इन्हें स्थानांतरित कर अन्यत्र तैनात करने का प्रयास किया गया है तो वे पुनः अपनी पूर्व तैनाती के स्थान पर आने हेतु ऐन–केन–प्रकारेण प्रयास करते हैं। इसके साथ ही एक स्थान पर कार्य करते–करते संबंधित कार्मिकों की अभिवृत्ति एवं कार्य शैली में भी सुधार नहीं हो पाता है। विशेष तौर से प्राधिकरणों में सम्पत्तियों के आवंटन, निस्तारण व इनके निबन्धन आदि से जुड़े कार्मिकों के एक ही पटल से लम्बी अवधि तक जुड़े रहने के कारण अनियमितितायें होने की सम्भावनायें बढ़ती हैं और जनता के लोगों से भी समय–समय पर इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार संस्था के मूलभूत उद्देश्यों एवं जनहित की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से बाधायें उत्पन्न होती हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यदि समय रहते उक्त स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण करते हुये एक ही स्थान पर लम्बी अवधि से तैनात कार्मिकों के विषय में निर्णय नहीं लिया जाता है तो संस्था के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी सम्भावना है।

2. उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में विभिन्न शाखाओं / अनुभागों में लम्बी अवधि से तैनात कर्मियों का तत्काल चिन्हीकरण करते हुये उन्हें हटाया जाये। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी कार्मिक को एक सीट पर अधिकतम् 02 वर्ष (दो) तथा शाखा / अनुभाग में तीन वर्ष (03) तक रखा जाये। उक्त अवधि से अधिक की अवधि से कार्यरत कार्मिकों को हटाये जाने के उपरान्त उन्हें किसी भी परिस्थिति में पूर्व तैनाती के स्थान नहीं रखा जाये। इन आदेशों का कढ़ाई

से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा इस संबंध में त्रैमासिक सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 254 / 9–आ–5–2001–14विविध / 2001–तद्दिनांक

प्रतिलिपि – समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ कि इसके अनुपालन की समीक्षा अपने स्तर पर कर लें।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–253/9–आ–5–2001–12ई/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊः दिनाँक : 17 फरवरी, 2001

विषयः उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों द्वारा अर्जित चल–अचल सम्पत्तियों का वार्षिक विवरण दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा में कार्यरत कार्मिकों के कार्य के साथ–साथ उनके आचरण का भी सम्यक महत्व है और इसी के क्रम में प्रत्येक कार्मिक एवं उसके परिवार द्वारा अर्जित चल–अचल सम्पत्ति/क्रय आदि का विवरण प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कार्मिक अपनी चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी तक उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को प्रेषित करेगा। इस वर्ष यह ब्यौरा 01 मार्च, 2001 तक उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा। उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण वेतनमान 1000–325–15200 तक तथा इससे उच्चवेतनमान के केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों द्वारा अर्जित चल–अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण शासन को उपलब्ध करायेंगे। इस वेतनमान से नीचे वेतनमान में कार्यरत केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत चल–अचल सम्पत्ति का विवरण अपने स्तर से परीक्षण कर उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में रखेंगे। यह परीक्षण करें यदि कोई सम्पत्ति अर्जित उस वर्ष विशेष में की गयी है तो अर्जित सम्पत्ति हेतु वांछित धन के स्रोत आदि की स्थिति भी स्पष्ट है अथवा नहीं ? क्रय/विक्रय की गयी सम्पत्ति के संबंध में आचरण नियमावली अनुसार पूर्व विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं? क्रय/विक्रय की गयी सम्पत्ति के संबंध में आचरण नियमावली अनुसार पूर्व विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं, को भी देखा जाना आवश्यक है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जो अधिकारी/कर्मचारी सम्पत्ति निष्तारण आदि से संबंधित कार्य देखते है उनके द्वारा निकट सम्बंधियों यथा–पति–पत्नी के माता–पिता अथवा भाई–बहन (सौतेले भाई भी सम्मिलित है) द्वारा भी उसी विकास प्राधिकरण में ली गई सम्पत्तियों का ब्यौरा भी निर्धारित प्रपत्र में दिया जायेगा। प्रस्तुत विवरण को इस दृष्टि से देखे जायेंगे कि सम्पत्ति प्रबन्धन में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने सगे संबंधियों को नियमों/प्रक्रियाओं

के बीच जाकर आउट–आफ–टर्न आवंटन आदि तो नहीं कराया गया। विकास प्राधिकरणों के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने सगे संबंधियों को अपने प्रभाव का दुरूपयोग करते हुये, आउट–आफ–टर्न भवन/ भूखण्ड यदि आवंटित किया गया है और इसकी जानकारी/संज्ञान प्राप्त हो तो अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे यदि संबंधित कार्मिक केन्द्रीयित सेवा के हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें ताकि शासन स्तर पर उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

3. अधिकारियों/कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से शासन ने इस मामले में समुचित विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है:–

(1) यदि भविष्य में शासन को इस बात की सूचना प्राप्त होती है और जांच से सत्यापित होती है कि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने क्रय/विक्रय की गयी चल–अचल सम्पत्ति का विवरण यदि उपरोक्त व्यवस्थानुसर समय से उपलब्ध नहीं कराया है तो प्रथम दृष्टया यह समझा जायेगा कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है और तदनुसार उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(2) विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से उसकी सम्पत्ति का, प्राविधिक विवरण (च्मतपवकपबंस ैजंजमउमदज) प्राप्त कर यह सुनिश्चित करे कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह विवरण नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित अवधि में यह विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की वार्षिक प्रविष्टि में इस बात का उल्लेख भी किया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उक्त नियम के प्राविधानों एवं शासन के उक्त निर्णय को अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में तुरन्त ला दें और यह सुनिश्चित कर लें कि इसका कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। उन्हें यह भी सचेत कर दें कि यदि कोई सरकार अधिकारी/कर्मचारी उक्त नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जायेगा तो इसे कठोर दृष्टि से देखा जायेगा। साथ ही साथ कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि इस मामले में आपके द्वारा उपरोक्त प्रस्तर–3(2) के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 253(1)/9–आ–5–2001–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं नगर विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

(दिनांक 01 जनवरी, ...को)

अचल सम्पत्तियों का विवरण वर्ष .....

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा का नाम, जिससे कार्मिक संबंधित है :–.....
.....

2. वर्तमान पद :–.....

3. संवर्ग व सेवा में आने की तिथि :–.....

4. वर्तमान वेतन :–.....

जिला, परगना, तालिका सम्पत्ति का नाम व वर्तमान यदि स्वयं के नाम कैसे अर्जित/ सम्पत्तियों से अभ्युक्ति व गांव का नाम जहां विस्तृत ब्यौरा मूल्य ही है, किसके नाम प्राप्त किया गया वार्षिक आय पर सम्पत्ति स्थित है। है तथा उससे क्रय, लीज मार्गेज, कार्मिक का संबंध पैतृक सम्पत्ति, उपहार अथवा अन्य (कब्जे की तिथि तथा संबंधित व्यक्तियों का नाम जिन से प्राप्त किया गया) आवास एवं जमीन अन्य भवन 1 2 3 4 5 6 7 8

नोट :–

1. यदि सम्पत्ति के मूल्य का सही–सही एवं पूर्ण मूल्य अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो तो उसकी वर्तमान दशा के परिप्रेक्ष्य में अनुमानित मूल्य दिया जाये।
2. प्रत्येक कार्मिक द्वारा समस्त अचल सम्पत्तियाँ जो क्रय, अर्जित अथवा वंशानुगत आधार पर स्वयं अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम प्राप्त की गई हों, का विवरण प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
3. इसी प्रकार प्रत्येक कार्मिक द्वारा निकट संबंधियों यथा–पति–पत्नी के माता–पिता, भाई–बहन (सौतेले भाई भी सम्मिलित है) के नाम उसी विकास प्राधिकरण में प्राप्त/क्रय की गई अचल सम्पत्तियों का भी वार्षिक विवरण अंकित कर प्रस्तुत किया जायेगा।
4. यह विवरण–पत्र तीन प्रतियों में भरा जायेगा।

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

गोपनीय/आवश्यक

अर्धशा0प0सं0–107/9–आ–5–2001–7विविध/2001
लखनऊ : दिनाँक – 20 फरवरी, 2001

प्रिय महोदय,

शासन द्वारा सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर अनिवार्य सेवा–निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि वित्तीय–हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में प्रकाशित ''मूल नियम–56 में यह व्यवस्था की गयी है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा तीन मास का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त किया जा सकता है।' उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम–34(2) में भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा व केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की स्क्रीनिंग निम्न व्यवस्था अन्तर्गत की जायेगी :–

स्क्रीनिंग कमेटी का गठन

(अ) अकेन्द्रीयित सेवा

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हेतु संबंधित उपाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा :–

(1) संबंधित विकास प्राधिकरण के सचिव अध्यक्ष
सचिव की अनुपलब्धता में समूह ''क'' का वरिष्ठ सदस्य
अधिकारी जो नामित सदस्यों से वरिष्ठ हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा निमित्त नामित दो वरिष्ठ अधिकारी जो नामित सदस्यों से वरिष्ठ हों।

(ब) केन्द्रीयित सेवा

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों की स्क्रीनिंग हेतु उ0प्र0 के समस्त विकास प्राधिकरण को तीन जोनों में बांटकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क्र0	जोन सम्बद्ध विकास प्राधिकरण/	स्क्रीनिंग हेतु गठित समिति	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
1	पूर्वी इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या	उपाध्यक्ष इलाहाबाद/क्षेत्र के	फैजाबाद, गोरखपुर, बांदा,
		वरिष्ठतम मुख्य अभियंता/	विन्ध्याचल, चित्रकूट
		मुख्य लेखाधिकारी।	
2	पश्चिम गाजियाबाद, मेरठ	हापुड़– उपाध्यक्ष,	गाजियाबाद पिलखुआ, मुजफ्फरनगर,
		तदैव	सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा
			अलीगढ़, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद
2.	मध्य	लखनऊ, कानपुर, रायबरेली,	उपाध्यक्ष, लखनऊ उन्नाव, शुक्लागंज, बरेली, झांसी।

तदैव सचिव,
उ0प्र0 शासन,

आवास अनुभाग–5

शासन द्वारा उपरोक्त गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्बद्ध विकास प्राधिकरण के समस्त केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हेतु संस्तुति संवर्गवार शासन (सचिव आवास) को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर शासन स्तर पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

विचारणीय–अभिलेख

(3) अनिवार्य सेवा–निवृत्ति का निर्णय लेने के लिये यद्यपिसंबंधित सेवक/कार्मिक के सम्पूर्ण सेवा काल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विशेष बल अन्तिम 10 वर्ष अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिए कि संबंधित सेवक की दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है, जिसके आधार पर उसे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्ति किया जाना चाहिए।

(4) (1) अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व नियुक्ति प्राधिकारी/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को होगा।

(2) केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार गठित स्क्रीनिंग समिति पृथक–पृथक बैठकें कर संवर्गवार अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेंगी।

कार्यवाही की समय–सारिणी

(5) (1) इस वर्ष स्क्रीनिंग का कार्य प्रत्येक दशा में मार्च 2001 तक पूर्ण किया जाना है अतः 01 मार्च 2001 तक अकेन्द्रीयित सेवा कार्मिकों की स्क्रीनिंग का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाये और केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के संबंध में संस्तुतियां 15–7–2001 तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

(2) स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रतिवर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

(3) यथासम्भव प्रतिवर्ष नवम्बर के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाये।

(6) (1) अनिवार्य सेवा–निवृत्ति हेतु की गयी स्क्रीनिंग से संबंधित वार्षिक सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भेजी जायेगी।

(2) ऐसे कर्मचारियों को सेवा–निवृत्त किये जाने का आलेख्य जिनके नियुक्त अधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैं, के संबंध में आदेशों का आलेख्य संलग्न है।

स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति

स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्ट्रेटस नहीं होगा वे केवल संबंधित नियुक्ति अधिकारी के समाधान में सहायता के लिए होगी व उनकी कार्यवाहियां भी अनौपचारिक होंगी। अनिवार्य सेवा–निवृत्ति का निर्णय लेने का अधिकार नियुक्त प्राधिकारी में सन्निहित है अतः वे ऐसे कर्मचारी/अधिकारी की सेवा निवृत्ति का निर्णय भी ले सकते हैं। जिनके मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष न प्रस्तुत किये जा सके हों।

(8) अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

अभिवादन,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

1. उपाध्यक्ष (नाम से)
विकास प्राधिकरण।

2. अध्यक्ष (नाम से)
विशेष–क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु की गयी स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना

वर्ष 2000–2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9

क्रमांक कार्मिकों की श्रेणी 50 वर्ष की आयु स्क्रीनिंग कमेटी के कार्मिकों की कुल अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी अन्य प्राप्त कार्मिकों की समक्ष विचारार्थ संख्या जो स्क्रीनिंग सेवा निवृत्त किये के विचार से के समक्ष रखे विवरण कुल संख्या रखे गये कार्मिकों कमेटी द्वारा अनिवार्य ये कार्मिकों की सहमत न होने बिना नियुक्त यदि की कुल संख्या सेवा निवृत्ति के कुल संख्या के संक्षिप्त प्राधिकारी द्वारा कोई हो योग्य समझे जाये कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिसके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी है।

नोटिस का प्रालेख

समय–समय पर यथा संशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग 2 से 4 तक में दिये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (')..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूं, जिस पर आप आरूढ़ है एतद्द्वारा नोटिस देकर आपसे लोकहित में अपेक्षा करता हूं कि आप ('')..... इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवा निवृत्त हो जाये।

नियुक्ति प्राधिकारी के

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(*) यहां पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाये।
(**) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाये (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (').....(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है,) को दी गयी नोटिस दिनांक .....के क्रम में ('').....जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर अपने वेतन तथा भत्ते यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उसकी अपनी सेवा नियुक्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर
तथा पदनाम।

(*) कर्मचारी का नाम व पदनाम।

(**) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पदनाम।
नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (')..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं, जिस पर

श्री (**)..... आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि श्री (**).....इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवा निवृत्ति के ईक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर
तथा पदनाम।

(*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।

(**) कर्मचारी का नाम

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिसके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल है

नोटिस का प्रालेख

समय–समय पर यथा संशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग 2 से 4 तक में दिये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (')..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूं, जिस पर आप आरूढ़ है एतद्द्वारा नोटिस देकर आपसे लोकहित में अपेक्षा करता हूं कि आप (")..... इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवा निवृत्त हो जाये।

नियुक्ति प्राधिकारी के

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(*) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाये (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (')..... (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) को दी गई नोटिस दिनांक .....के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया गया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवा निवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर अपने तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी निवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (')..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं, जिस पर

श्री (*)..... (*)..... आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि श्री (**)..... ...इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवा निवृत्ति के ईक पहले पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश है कि श्रीं (')..... इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस पर वह उनको अपनी सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से

सचिव।

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।

संख्या–1272 / 9–आ–5–2001–123 / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊ : दिनाँक – 24 मई, 2001

विषयः विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अकेन्द्रीयित व केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों / कार्मिकों के प्रथम नियुक्ति के समय चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के संबंध में विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य श्री रामचन्द्र यादव द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–85 का उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराये जाने के विषय में शासन के पत्र संख्या–16 ए.क्यू. / 9–आ–5–2001–15ए क्यू–2001, दिनांक 18.5.2000 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने प्राधिकरणों से संबंधित केन्द्रीयित / अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों एवं कार्मिकों के द्वारा सेवा में आने के समय चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण–प्रत्येक दशा में दिनांक 30.6.2001 तक शासन को उपलब्ध कराया जाये। यदि इस अवधि के दौरान उपरोक्त के विषय में सूचना शासन को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो संबंधित उपाध्यक्ष / सचिव के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी

3. यह प्रकरण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर शासन को आख्या / सूचना प्रेषित की जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–1553 / 9–आ–5–2001–5स्था / 2

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊः दिनाँक : 10 जून, 2001

विषयः उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अधिशासी / सहायक / अवर अभियंताओं का विभिन्न विकास प्राधिकरणों में निर्माण एवं विकास व्यय के आधार पर पदों का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में जारी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए उप0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अभियंत्रण संवर्ग में सृजित अधिशासी / सहायक / अवर अभियंताओं के पदों को प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में निर्माण एवं विकास कार्यों के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार आवंटित किया जाता है। इस प्रकार सम्भव है कि प्राधिकरणों में अब उपलब्ध होने वाले पदों से भिन्न हो जायें। यह इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि नये प्राधिकरणों के लिए कोई नये पद सृजित नहीं किये जा रहे हैं, पूर्व सृजित पदों को ही पुर्नावंटित कर उपलब्ध कराया जा सकता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 5

संख्या 2639/9–आ–5–2001/80ई/2001

लखनऊ : दिनांक 27 सितम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (सातवां संशोधन) 2001 द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के क्रम में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा में दिनांक 29.6.1991 से पूर्व सीधी भर्ती के तदर्थ रूप से तैनात सहायक अभियंताओं को विनियमित किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु श्रीराज्यपाल महोदय एक विभागीय चयन समिति निम्नवत् गठित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन आवास विभाग अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य
जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो
3. श्री दिवाकर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ वि0प्राधिकरण सदस्य
4. श्री, अरविन्द सोनकर संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य
5. श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, महिला कल्याण विभाग सदस्य
6. श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, मुख्य अभियंता आवास–बन्धु, सदस्य
जनपथ मार्केट लखनऊ।

2. उपरोक्तानुसार गठित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27.9.2001 को सायं 4.00 बजे प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग के बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष संख्या–324 में आयोजित की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से, उक्त बैठक को स्थगित करते हुये अब इसे दिनांक 29.9.2001 को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रमुख सचिव, आवास विभाग के बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष संख्या–324 में आयोजित किया गया है। कृपया निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर आयोजित चयन समिति में भाग लेने का कष्ट करें।

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

संख्या – 2639(1)/9–आ–5–2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।
3. श्री अरविन्द सोनकर, संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, मुख्य अभियंता, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट हजरतगंज लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

समयबद्ध / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–779 / 9–आ–5–2001–43 डब्लूई / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊः दिनाँक : 19 अप्रैल, 2001

विषयः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय–समय पर पारित निर्णय / आदेशों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन / वर्कचार्ज / संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं के विनियमितीकरण हेतु सूचना / सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन / वर्कचार्ज / संविदा पर प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर अवर अभियंताओं के पदों पर नियुक्तियां की गयी है। वर्ष 1991 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त अभियंताओं को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश पारित किये गये थे। इसी क्रम में वर्ष 1992 में मेरठ विकास प्राधिकरण के कतिपय दैनिक वेतन अभियंताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर की गयी रिट याचिका में भी कतिपय आदेश पारित हुये। कालान्तर में शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय / मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुक्रम एवं अनुपालन में न्यायिक बाध्यता होने के फलस्वरूप वर्ष 1997 में विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अवर अभियंताओं के विनियमितीकरण की कार्यवाही करते हुये सफल अभ्यर्थियों के परिणाम भी घोषित किये गये। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ में योजित कतिपय रिट याचिकाओं में पारित विभिन्न आदेशों के कारण शासन द्वारा मामले में अग्रेतर नियुक्तियां नहीं प्रदान की जा सकी इसके बाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय / आदेश दिनांक 8.9.1997 द्वारा उक्त चयन प्रक्रिया एवं परिणाम को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा 05 विशेष अपीलें दाखिल की गयी। उक्त विशेष अपीलें 17 अन्य विशेष अपीलों के साथ मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय / आदेश दिनांक 26.6.2000 द्वारा अन्तिम रूप से निसतारित की गयी।

2. उपर्युक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय / आदेश दिनांक 26.6.2000 के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील रिट दाखिल की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5.1.2001 को कतिपय आदेश भी पारित किये

गये है परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश स्थगित नहीं किये गये है फलस्वरूप इनकों क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

3. मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के आलोक में प्रश्नगत अवर अभियंतागण को तदर्थ मानते हुये उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, तृतीय संशोधन के नियम–20–ए के अन्तर्गत विनियमितीकरण पर विचार किया जाना आशयित है। इस हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.6.2000 के क्रम में नियम–20ए में आवश्यक एवं अपेक्षित संशोधन तथा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के तदर्थ एवं दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं के सम्बन्ध में सूचना/सामग्री संकलित कर विनियमितीकरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। नियमावली संशोधन करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर अलग से कार्यवाही प्रचलित है।

4. उपर्युक्त के आलोक में कृपया संलग्न प्रपत्रों (प्रपत्र–1, प्रपत्र–2) में दिनांक 29.6.1991 तक तदर्थ आधार पर एवं दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर नियुक्त किये गये तथा वर्तमान में कार्यरत अवर अभियंताओं के सम्बन्ध में वांछित सूचना/सामग्री शासन को दिनांक 30.4.2001 को किसी भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी के साथ भेजकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सूचना सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगी। प्रपत्र–1 में तदर्थ अभियंताओं तथा प्रपत्र–2 में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अवर अभियंताओं की सूचना उपलब्ध करायी जाये।

कृपया उपर्युक्त कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुय वांछित सूचनायें निर्धारित अवधि में अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः प्रपत्र–1, प्रपत्र–2

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

प्रारूप – ''एक''

संख्या–779/9–आ–5–2001–43डब्लूई/2000 संलग्नक।
उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में दिनांक 01.01.1986 से दिनांक 29.06.1991 तक तदर्थ नियुक्त (सीधी भर्ती से) एवं वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों का विवरण विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम

क्र0 सं0 नाम पिता का गृह– जन्म अर्हकारी श्रेणी व अतिरिक्त पदनाम नियुक्ति वर्ग सामान्य/ दण्ड का कार्य व नाम जनपद तिथि शैक्षिक प्रतिशत् शैक्षिक अर्हता कार्यभार अनु0 जाति विवरण आचरण

योग्यता (सिविल/इलै0 ग्रहण की जनजाति अन्य चेतावनी,

इन्जी0 डिग्री/ तिथि पिछड़ा–वर्ग विभागीय

ए0एम0आई0ई) कार्यवाही,

प्रतिकूल प्रविष्टि/एफ0आई0 आर0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
कार्य व आचरण

<u>प्रारूप– ''दो''</u>

संख्या–779/9–आ–5–2001–43डब्लूई/2000 का संलग्नक

विभिन्न विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दिनांक 29–06–1991 तक दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अवर अभियंताओं का विवरण

——

विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम ....

दण्ड चेतावनी, एफ0आई0 आर0 आदि।

वर्ग सामान्य, अनु0जाति/

जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग

प्रत्येक वर्ष में 240 दिन कार्य किये हैं या नहीं।

वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा नहीं

कार्यभार ग्रहण की तिथि

पद

अतिरिक्त

शैक्षिक अर्हता

(सिविल/ इलै0इंजी0 डिग्री/ए.एम.आई.ई.)

श्रेणी व प्रतिशत
अर्हकारी शैक्षिक अर्हता

गृह– जनपद

जन्म तिथि

पिता का नाम

नाम
क्र0 सं0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

महत्वपूर्ण

संख्या–517/9–आ–5–2001–204 ई/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊः दिनाँक : 7 मार्च, 2001

विषयः उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर दिनांक 29 जून, 1991 के पहले के नियुक्त तथा अब तक कार्यरत कर्मियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में शासनादेश संख्या–1102/9–आ–5–98, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 द्वारा दैनिक वेतन तथा वर्कचार्ज पर दिनांक 29.12.1989 तक नियुक्त/कार्यरत कर्मियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही के आदेश निर्गत किए गए थे। मामले में शासन द्वारा पुर्नविचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में अकेन्द्रीयित सेवा के अधीन समूह –''ग'' व समूह – ''घ'' के पदों पर दिनांक 29.06.1991 तक दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर नियुक्त/कार्यरत कर्मियों का विनियमितीकरण किया जाये। इस प्रकार शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 1998 द्वारा अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु निर्धारित कट–आफ–डेट 29 दिसम्बर, 1989 को निरस्त समझा जाये और उसके स्थान पर दिनांक 29 जून, 1991 कट–आफ–डेट प्रभावी/लागू समझा जाये।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 1988 में प्राविधानित अन्य शर्ते/मार्ग दर्शक सिद्धान्त पूर्ववत्/यथावत बने रहेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में ही अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के सापेक्ष कार्यरत दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाये। शासनादेश संख्या–1102/9–आ–5–98, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाये।

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 5

संख्या 2597/9–आ–5–2001–43 डब्लूई/2000 टीसी

लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में तदर्थ एवं दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा के पद पर कार्यरत अवर अभियंताओं के संबंध में समय–समय पर मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में उन्हें विनियमित किय जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय एक विभागीय चयन समिति निम्नवत् गठित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

1. प्रमुख सचिव, आवास अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, न्याय अथवा उनके प्रति निधि विशेष सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य एवं अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। सदस्य
4. सचिव, कार्मिक अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो। सदस्य
5. श्री अरविन्द सोनकर, संयुक्त सचिव आवास। सदस्य
6. श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, सदस्य महिला कल्याण एवं बाल विकास।
7. श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, मुख्य अभियंता आवास–बन्धु। सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 29.9.2001 को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रमुख सचिव आवास, उ0प्र0 शासन के बापू–भवन स्थित कार्यालय–कक्ष सं0–324 में आयोजित की गयी है। कृपया निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर आयोजित चयन समिति में भाग लेने का कष्ट करें।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 2597(1)/9–आ–5–2001 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. सचिव कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अरविन्द सोनकर, संयुक्त सचिव आवास।
5. श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, महिला–कल्याण एवं बाल विकास।
6. श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, मुख्य अभियंता, आवास–बन्धु।

आज्ञा से,

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता/ई0मेल द्वारा
संख्या–2724/9–आ–5–2001

प्रेषक,

अरविन्द सोनकर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊः दिनाँक : 6 अक्टूबर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कतिपय विकास प्राधिकरणों यथा–गाजियाबाद एवं लखनऊ में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत कतिपय अवर अभियंताओं द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की त्रृटिपूर्ण व्याख्या करते हुये व्यक्तिगत स्तर से अवर अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति के संबंध में योगदान आख्यायें प्रस्तुत की जा रही हैं।

2. उपर्युक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.6.2000 तथा उसके क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित आदेशों के अनुक्रम में शासन स्तर से प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः प्राधिकरण स्तर पर संबंधित कर्मियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार की योगदान आख्या से अनावश्यक जटिलतायें एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कोई योगदान आख्या स्वीकार नहीं की जाये। आप अवगत हैं कि अवर अभियंता का पद विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा का पद है और सेवा नियमावली की व्यवस्था के अनुसार यह शासन द्वारा नियंत्रित पद है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–1645/9आ–6–2001

प्रेषक,

अरविन्द सोनकर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक–29 अक्टूबर, 2001

विषय : दैनिक वेतन भोगी कर्मिकों को आवश्यकतानुसार एक प्राधिकरण से अन्य प्राधिकरण में सेवा स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को आवश्यकतानुसार अन्य प्राधिकरणों में सेवा स्थानान्तरित करने हेतु जन–प्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों अथवा उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरणों के माध्यम से संस्तुति/प्रस्ताव शासन में विचारार्थ प्राप्त होते हैं। चुंकि प्राधिकरणों में रिक्तियां उपलब्ध है अथवा नहीं, अथवा स्टाफ सरप्लस है अथवा नहीं इत्यादि सूचना के अभाव में उक्त प्रकरण पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत समस्त विकास प्राधिकरणों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियें की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें एक जनपद से अन्य जनपद के प्राधिकरण में सेवा स्थानान्तरित करने हेतु एक नीति निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है।

2. अतः अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित सूचना प्राथमिकता के आधार पर शासन को 15 दिन में भेजने का कष्ट करें–

(1) प्राधिकरण के कौन–कौन दैनिक वेतन भोगी कार्मिक क्या वे स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत हैं अथवा स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कार्यरत है।
(2) विकास प्राधिकरण में वर्तमान में कितने दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों की आवश्यकता है।
(3) यदि आवश्यकता से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं तो उनमें से जो कनिष्ठतम कर्मचारी जो अपने प्राधिकरण को छोड़कर अन्य प्राधिकरण में जाने के तैयार है तथा उनके विकल्प भी प्राप्त किये जायें।

भवदीय,

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–3

संख्या–7113 / 9–आ–3–2000–1 वि0 / 90

लखनऊः दिनांकः 8 जून, 2000

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–51 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 के नियम के उपबन्धों, सपठित अनुदेश संख्या–14 तथा 15 उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश 1982 के अनुसरण में पूर्व में जारी किए गये आदेशों के क्रम में एतद् द्वारा यह आदेश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार की ओर से अग्रिम आदेशों तक पुनरीक्षण से सम्बन्धित मेरठ, बरेली, हरिद्वार, मुजफ्फर नगर एवं झाँसी विकास प्राधिकरणों का कार्य श्री यज्ञवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव, आवास द्वारा तथा सहारनपुर, कानपुर, अयोध्या फैजाबाद, उन्नाव शुक्लागंज, एंव रायबरेली विकास प्राधिकरणों का पुनरीक्षण कार्य–श्री दीन दयाल संयुक्त सचिव, आवास विभाग द्वारा अपने पूर्व आवंटित कार्य के अतिरिक्त अन्तिम आदेश पारित करने सहित देखा जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–7113 (1) / 9–आ–3–2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सम्बन्धित अधिकारीगण।
3. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
4. अध्यक्ष, / सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र / समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–6

संख्या–45/9–आ–6–2001– म/2001

लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

समस्त पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुये श्रीराज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–4(3) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग को जनहित में अध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर के कर्तव्य एवं दायित्वों के सम्यक निर्वहन हेतु तात्कालिक प्रभाव से शासन के अग्रिम आदेशों तक एतद् द्वारा अध्यक्ष नामित करते हैं।

पी0एल0 पुनिया
आवास एवं नगर विकास आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव, आवास, नगर विकास एवं
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या– 45(1)/9–आ–6–2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
2. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर।
4. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
5. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 3

संख्या 198 / 9–आ–3–2001 आर0ए0 / 2000

लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 15 ए (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय अधिनियम की धारा – 15ए (1) में राज्य सरकार को प्रदत्त पुनरीक्षण वादों की सुनवाई का अधिकार संबंधित विनियममित क्षेत्र के मण्डलायुक्त को प्रतिनिधायित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 198(1) / 9–आ–3–2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. नियम प्राधिकरण, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
5. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या–304 / 9–आ–3–2001–3आर0ए0 / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश,
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
3. नियम प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–31 जनवरी, 2001

विषय : विनियमित क्षेत्रों के पुनरीक्षण वादों की सुनवाई का अधिकारी मण्डलायुक्तों को दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की अधिसूचना संख्या–198 / 9–आ–3–2001–3आर.ए. / 2000, दिनांक 22 जनवरी, 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा–15–ए (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण वादों की सुनवाई का अधिकार राज्य सरकार की बजाय विनियमित क्षेत्र के संबंधित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित कर दिया गया है।

2. मण्डलायुक्तों के समक्ष नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में विचारार्थ लम्बित अपीलों के समस्त प्रकरण तात्कालिक प्रभाव से अग्रेतर सुनवाई हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया जाय।

4. शासन स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में निर्णीत किये गये मामलों में शासन के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण वादों की सुनवाई शासन स्तर पर ही की जायेगी।

5. मण्डलायुक्तों द्वारा इस आदेश की प्राप्ति के पूर्व जिन प्रकरणों में नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में अपील निर्णीत की गई उनके विरूद्ध पुनरीक्षण वाद शासन में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

6. शासन में विचाराधीन ऐसे पुनरीक्षण वाद जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी की हैसियत से निर्णीत किया गया है एवं पुनरीक्षण शासन स्तर पर लम्बित है ऐसी समस्त पत्रावलियां अग्रेतर सुनवाई हेतु संबंधित मण्डलायुक्तों को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

7. जिलाधिकारी द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में निर्णीत प्रकरणों के विरूद्ध शासन में लम्बित पुनरीक्षण वादों, जिनमें सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, एवं आदेश होने हैं, ऐसी पत्रावलियों में यथाशीघ्र अन्तिम आदेश पारित कर संबंधित विनियमित क्षेत्रों को पत्रावलियों वापस की जायेगी।

उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे। कृपया इन आदेशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–304 (1) / 9–आ–3–2001–3 आर0ए0 / 2000 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाथ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या–3772 / 9–आ–5–2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊः दिनाँक–10 अप्रैल, 2000

विषयः विकास प्राधिकरण / विशेष–क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों में प्रस्ताव / प्रत्यावेदन भेजने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के अपरिपक्व प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा शासन में विचारार्थ भेजे जाते हैं। जिससे शासन का श्रम एवं समय आवश्यक रूप से नष्ट होता है। ऐसे ही मामले भविष्य में मा0 उच्च न्यायालय / लोक सेवा अधिकरण में कार्मिकों द्वारा रिट याचिका / निर्देश याचिका योजित किए जाने के कारण बनते हैं। उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा नियमावली उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1985 प्रख्यापित है। अतः कृपया सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुकूल ही शासन में विचारार्थ प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें। इस संबंध में अपने विकास प्राधिकरण में अधिष्ठान कार्य देखने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को उपरोक्त आशय के निर्देश भी देने का कष्ट करें। नियमों की व्यवस्था के विपरीत दिये गये प्रत्यावेदनों को प्राधि0 स्तर पर ही निरस्त किया जाये, शासन को न भेजा जाए अन्यथा भेजने वाला अधिकारी उत्तरदायी होगा।

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 6

संख्या 918 / 9आ–6–2001–129यू0सी0 / 2001

लखनऊ : दिनांक 12 जून, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम–1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा–5(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को यह अधिकार दिया जाता है कि धारा–5(1) के अन्तर्गत शासन द्वारा सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त न किये जाने की स्थिति में किसी उपयुक्त अधिकारी को अपने अन्य मौलिक उत्तरदायित्व के साथ इन पदों का दायित्व अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–918(1) / 9आ–6–2001

प्रतिलिपि में उपरोक्त की प्रति सहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक 12 जून, 2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–'ख' में प्रकाशित करायें तथा मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ शासन को शीघ्र भेजें तथा नीचे पृष्ठांकित अधिकारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित 5–5 प्रतियां अपने स्तर से सीधे उन्हें भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या 918 (2) / 9आ–6–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद। (5 प्रतियाँ)
3. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा। (5 प्रतियाँ)
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (5 प्रतियाँ)
5. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (5 प्रतियाँ)
6. मुख्य नगर एवं ग्रम नियोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (5 प्रतियाँ)
7. मुख्य नगर अधिकारी, फिरोजाबाद। (5 प्रतियाँ)
8. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश। (5 प्रतियाँ)
9. सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। (5 प्रतियाँ)
10. आवास एवं नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग। (5 प्रतियाँ)

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या–932 / 9–आ–5–54 विविध / 2001

प्रेषक,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेशं

आवास अनुभाग–15 लखनऊ : दिनाँक–15 जून, 2001

विषय : कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण को पत्र सम्बोधित न करने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश सं0 980 / 43–2–2001–14 / 21281 / 2000, दिनांक 16 मार्च, 2001 का मय संलग्न की प्रति, संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गयी है कि कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण से पत्र व्यवहार न किया जाये। यदि किसी प्रकरण पर कार्यालयाध्यक्ष / विभागध्यक्ष का अन्य अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति / कृतकार्यवाही से मा0 मंत्री जी को अवगत कराने की अपेक्षा हो तो उक्त से संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव / संबंधित विभाग से सचिव के माध्यम से पत्र द्वारा अवगत कराया जाये। तदोपरान्त आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग, पत्रावली के माध्यम से मा0 मंत्री जी को स्थिति से अवगत करायेंगे।

2. उक्त प्रसंग में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि मा0 मंत्रीगण को किसी प्रसंग में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना अपेक्षित हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव / संबंधित विभाग के सचिव को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि संबंधित मा0 मंत्री जी के निजी सचिव को पृष्ठांकित की जा सकती है।

उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2000 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या–980 / 43–2–2001–14 / 21281 / 2000

प्रेषक,

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
3 समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक–16 मार्च, 2001

विषयः कार्यालयाध्यक्ष / विभागध्यक्ष / जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण को पत्र सम्बोधित न करने के निर्देश।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश सं0 1727 / 43–2–2000–14 / 21281 / 2000, दिनांक 04 जुलाई, 2000 का संदर्भ ग्रहण करें । जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गयी है कि कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण से पत्र व्यवहार न किया जाये। यदि किसी प्रकरण पर कार्यालयाध्यक्ष / विभागध्यक्ष का अन्य अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति / कृतकार्यवाही से मा0 मंत्री जी को अवगत कराने की अपेक्षा हो तो उक्त से संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव / संबंधित विभाग से सचिव के माध्यम से पत्र द्वारा अवगत कराया जाये। तदोपरान्त आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग, पत्रावली के माध्यम से मा0 मंत्री जी को स्थिति से अवगत करायेंगे।

2. उक्त प्रसंग में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि मा0 मंत्रीगण को किसी प्रसंग में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना अपेक्षित हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव / संबंधित विभाग के सचिव को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि संबंधित मा0 मंत्री जी के निजी सचिव को पृष्ठांकित की जा सकती है।

उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2000 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से

सुनन्दा प्रसाद
सचिव

गोपनीय

संख्या–1727 / 43–2–2001–14 / 2(28) / 2000

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
3 समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक–04 जुलाई, 2000

विषयः कार्यालयाध्यक्ष / विभागध्यक्ष / जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण को पत्र सम्बोधित न करने के निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रायः कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / जिलाधिकारी द्वारा मा0 मंत्रीगण को सीधे पत्र सम्बोधित कर दिया जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों द्वारा मा0 मंत्रीगण को सीधे पत्र देने की परम्परा को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

2. इस प्रसंग में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा मा0 मंत्रीगण से पत्र व्यवहार न किया जाये। यदि किसी प्रकरण पर कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष या अन्य अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति / कृतकार्यवाही से मा0 मंत्री जी को अवगत कराने की अपेक्षा हो तो उक्त से संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव / संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से पत्र द्वारा अवगत कराया जाये। तदुपरान्त आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग पत्रावली के माध्यम से संबंधित मा0 मंत्री जी को स्थिति से अवगत करायें।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता यदि संज्ञान में आती है तो उसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव

संख्या– 1727(1) / 43–2–2000 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से

एच0 एल0 बिरदी
सचिव